

फदे अहकाम

(नियम (26))

ज अदालत उपरोक्त अधिकारी सिकराय

सरकार बनाम बदरी / पु-पा

क्रम मुकदमा मु० न० 117/2024

क्र. नं.	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
10-24	<p>पार्थना पत्र डस्मार्स निचो अधिवक्ता श्री राजेश मीना द्वारा पेशा डर्ज शरीफ्ट कर तलबी की जाये/ वास्ते तामील हुकम जवाब हेतु दि. 18-10-24 को पेशा हो।</p>	
18-10-24	<p>पत्रावली पेशा। वादी अधिवक्ता अन्तरिम T.I. कहल चाहतें हैं। अन्तरिम T.I. कहल हेतु पत्रावली दि. 20-10-24 को पेशा हो।</p>	
20-10-24	<p>पत्रावली पेशा। उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित। वादी पक्ष का तर्क रहा कि ग्राम गढोरा के खोटा सं. 103, 104, 105, 106, 108 व 286 की खोटेवारी अपाधीगण के नाम डर्ज हैं लेकिन उपरोक्त भूमी के प्रत्येक खोटा में 1/2 हिस्सा की कमत वादी पक्ष की है। उनके अनुसार पारिवारिक व सम्भारों के अनुसार प्राप्त भूमी की अपाधीगण अन्वय हस्तान्तरण की आमादा है। अपाधी पक्ष के अधिवक्ता का तर्क रहा कि परन्तु भूमीशुद्ध सं अपाधीगण की खोटेवारी भूमी रही है। उभय पक्ष की कहल के तर्कों पर गौर किया गया। अन्तरिम T.I. आगामी पेशी तक इस आशय की जायी की जाती है कि ग्राम गढोरा के खोटा सं. 103, 104, 105, 106, 108 व 286 में प्रत्येक के 1/2 हिस्सा की भूमी की अपाधीगण जागे रहन व बेचान नहीं करीये। आदेश पूर्व वाद के निर्णय पर लागू नहीं होगा। पत्रावली जवाब पार्थना पत्र हेतु दि. 12-11-24 को पेशा हो।</p>	

उप सचिव अधिकारी
सिकराय बिना रोष